संख्या-पी-15 /14-2-2015-800(66)/2015

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 2015

विषय- जनपद सोनभद्र में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत सागरघा से कैमहवा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.60 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2265/11-सी-यूपी035/2015, दिनांक 15-6-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शासन स्तर पर सामान्य अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न अभिलेख पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है:-

(1) वनाधिकार अधिनियम, 2006 (एफ0आर0ए0) से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। जबकि वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न होना चाहिये।

(2) प्रस्ताव के पृष्ठ-52, 53, 54, 55, 56 रक्षित प्रमाण पत्र में नाम/पदनाम/मोहर रहित है, सम्बंधित प्रमाण पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम/मोहर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

AdSO

DCF Nodal
13/07/15

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ
पत्रांक 119 / III-सी दिनांक दिनांक 13 जुलाई 2015
प्रतिलिपि निम्न को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासन द्वारा वांछित मूल अभिलेख एवं अपेक्षित का निस्तारण ससमय सुनिश्चित करें।
(1) मुख्य वन संरक्षक, औरैया वन प्रभाग, औरैया, सोनभद्र।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।